क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान और अन्य

बनाम

एस. भाग्यबती देवी

17 मई, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सेवा कानूनः टाइम स्केल प्रमोशन रूल्स, 1991-नियम 17 (बी) और 31 चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.)-चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) के रूप में काम करने वाले अपीलार्थी को सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। 1995 से प्रभावी चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने वाले प्रतिवादी को सहायक प्राध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया। 1998 से प्रभावी - प्रतिवादी ने इस अपीलार्थी की वरिष्ठता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की चूंकि अपीलार्थी ने कभी भी कोई शिक्षण पद नहीं संभाला है, वह पदोन्नति का हकदार नहीं है-उच्च न्यायालय दारा निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी से वरिष्ठ माना जाएगा। अभिनिर्धारित - चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) का पद शिक्षण पद के बराबर नहीं है - कभी-कभी शिक्षण कार्य करना या प्रदर्शक के रूप में काम करना गैर-शिक्षण पद को शिक्षक पद नहीं बनाता।

प्रत्यर्थी को वर्ष 1984 में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 10 वर्ष पूरे होने पर उन्हें प्रभावी रूप से सहायक प्राध्यापक के रूप में 1.7.1998 नियुक्त किया गया। डॉ. टी. को वर्ष 1983 में चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्यकारी परिषद, रिम्स द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, बतौर चिकित्सा अधिकारी के पद पर काम करने के 10 वर्षों की समाप्ति पर उन्हें सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति करने के लिए विचार किया जा सकता था।

उन्हें सहायक प्राध्यापक के पद पर 1.2.1995 से पदोन्नत किया गया था।

प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की कि डॉ. टी. ने चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) के रूप में कार्य करते हुए कभी कोई शिक्षण पद नहीं संभाला था। अतः वे सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की हकदार नहीं थीं।

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डॉ. टी और प्रतिवादी दोनों को आगे सह - प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया था, नियुक्तियों को खारिज नहीं किया, लेकिन निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी को डॉ. टी. से वरिष्ठ माना जाएगा, उच्च न्यायालय के इस आदेश से व्यथित

होकर रिम्स और डॉ. टी दोनों ने इस अदालत के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि यद्यपि टाइम स्केल प्रमोशन रूल्स, 1991 के तहत सहायक प्राध्यापक के पद पर कथित टाइम स्केल प्रमोशन के लिए पात्र बनने के लिए शिक्षण पद में 10 साल सेवा देने की शर्त है, किन्तु डॉ. टी की सामुदायिक विज्ञान विभाग में उनकी तैनाती (पोस्टिंग) को नियमित शिक्षण सेवा के रूप में माना जाता है, अतः डॉ. टी को उक्त मानदंडों को पूरा करता हुआ माना जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया कि 2005 में किए गए नियमों का संशोधन स्पष्ट प्रकृति का है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत द्वारा पारित 1.संवैधानिक उप-कानून के नियम 17 (बी) और 31 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के द्वारा टाइम स्केल प्रमोशन रूल्स, 1991 बनाए गए। नियम 3 (घ) में परिभाषित पंजीयक श्रेणी की परिधि मे चिकित्सा अधिकारी (शिक्षण और गैर-शिक्षण) को शामिल किया गया है। नियम 3 (थ) के अन्तर्गत शिक्षण पद में कुलसचिव श्रेणी के सभी पदों को शामिल किया गया है। दिनांक 28-10-2005 पर या उसके आसपास टाइम स्केल प्रमोशन रूल्स, में संशोधन किया जाकर, 10,325-325-15,200/- वेतनमान पर वरिष्ठ

चिकित्सा अधिकारियों में चिकित्सा अधिकारियों (गैर-शिक्षण) को शामिल किया गया है। इन नियमों में शिक्षण पदों के साथ-साथ गैर-शिक्षण पदों के सृजन का प्रावधान है। नियम 2 (घ) में परिभाषित पंजीयक श्रेणी में शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों प्रकार के चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं।

[पैरा 6 और 11] [87-जी; 88-ए; 91-सी; 92-ए]

2.1. रिम्स ने चिकित्सा अधिकारियों (एसपीएम) के लिए कोई ड्यूटी चार्ट प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा अधिकारियों (एस. पी. एम.) को कभी-कभी कक्षाएं लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए डॉ. टी को नियमित रूप से कक्षाएं लेने की आवश्यकता नहीं थी। अतः पदधारी द्वारा धारण किए गए पद की प्रकृति क्या होगी, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य के लिए पद से जुड़े कर्तव्यों का मौलिक महत्व होगा। उक्त नियमावली चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) से जुड़े कर्तव्य की प्रकृति का विवरण पेश नही करते है। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। निवारक चिकित्सा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। कभी-कभी शिक्षक का काम करना या प्रदर्शक के रूप में काम करना गैर-शिक्षक पद को शिक्षक पद में नहीं बदल सकता। रिम्स द्वारा यह धारणा की गयी होगी कि चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) का पद एक शिक्षण पद है, किन्तु उक्त तथ्य को जब प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी, तो उच्च

न्यायालय के समक्ष उपधारणा साबित करना अनिवार्य था। जिसमें व पूरी तरह विफल रहा है। इस संबंध् में चिकित्सा परिषद के बीच पत्राचार भी सहायक नहीं है।

इस संबंध में स्पष्टीकरण केवल 2004 में मांगा गया था। चिकित्सा परिषद ने उक्त पत्र के जवाब में भी यह स्पष्ट नहीं किया है चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) एक शिक्षण पद होगा। यह केवल संवर्ग की संख्या के संबंध में मानदंड निर्धारित करता है। कैडर के संख्या भी वर्ष 2005 में ही निर्धारित की गयी थी।

पैरा 15] [92-ए, बी, सी, डी, ई]

राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम कैला कुमार पालीवाल एवं अन्य (2007) 6 स्केल 531 और निदेशक, एम्स एवं अन्य बनाम डॉ. निखिल टंडन और अन्य, [1996] 7 एस. सी. सी. 741, का अवलोकन किया गया।

2.2. चिकित्सा परिषद ने चिकित्सा अधिकारी के पद को शिक्षण पद की मान्यता नहीं दी। उक्त के खण्डन में दस्तावेज भी कोई पेश नहीं है

[पैरा 19] [93-डी]

3. वर्ष 2005 में संशोधित नियमों को स्पष्टता जाहिर करने वाला नहीं माना जा सकता है। यह एक सारभूत संशोधन है। गैर-शिक्षण

पदाधिकारी को पहली बार नियमों के दायरे में लाया गया है। पात्रता की योग्यता में भी बदलाव किया गया है। [पैरा 20] [93-डी, ई]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2694/2007

उच्च न्यायालय गुवाहाटी, इम्फाल पीठ के रिट अपील सं. 211/2004/4 2005 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 17.08.2005 से उत्पन।

के साथ

सिविल अपील सं. 2695/2007

अपीलार्थी की ओर से: जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, नोबिन सिंह, एस. के. भट्टाचार्य और एल.

प्रत्यर्थी की ओर से: राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सपम विश्वजीत मेइतेई, अशोक कुमार, मंजुला गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश एस. बी. सिन्हा के द्वारा दिया गया।

2. प्रस्तुत अपीलें चूकि आपसी संबंधित हैं और एक निर्णय से उत्पन्न होती हैं, अतः एक साथ सुनवाई के लिए लिया गया और एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संक्षेप में "रिम्स")

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है। डॉ. (श्रीमती) एस. भाग्यबती देवी (संक्षेप में "भाग्यबती") और डॉ. तरुनी नगंगबाम (संक्षेप में "तरून्नी") रिम्स में कार्यरत रही है।

3. डॉ. तरुनी को वर्ष 1983 में चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1992 में स्नातकोत्तर किया। कार्यकारी परिषद रिम्स द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर काम करने के 10 साल पश्चात सहायक प्राध्यापक का पद पर उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। 1.2.1995 सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत दिनांक 8.4.1999 के से आदेश किया गया था। डॉ. भाग्यबती को 1984 में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपना स्नातकोत्तर जून, 1996 में पूरा किया। 10 साल पूरे होने पर उन्हें 1.7.1998 से प्रभावी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया।। यह विवाद में नहीं है कि दोनों डॉ. तरुनी और डॉ. भाग्यबती को सह - प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है।

4. डॉ. भाग्यबती ने इम्फाल पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की एवं डॉ. तरुनी को सौंपी गई वरिष्ठता पर सवाल उठाया कि डॉ. तरुनी द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए कभी शिक्षण पद ग्रहण नही किया।

विद्वान एकल पीठ द्वारा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, डॉ. तरुनी और डॉ. भाग्यबती को सह - प्राध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया है, उनके नियुक्ति खारिज नहीं किया बल्कि निर्देशित किया कि डॉ. भाग्यबती को डॉ. तरुनी का वरिष्ठ माना जावें।

5. आक्षेपित निर्णय में वर्णित कारणों के आधार पर खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश का आक्षेपित निर्णय बरकरार रखा है।

इस प्रकार, रिम्स और डॉ. तरुनी दोनों हमारे सामने हैं।

6. आरंभ से ही प्रासंगिक नियमों का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के सम्मुख यह जाहिर है कि रिम्स के संवैधानिक उप-कानून के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद, के द्वारा नियम बनाए गए।

सोसायटी के गठन को 4.2.1995 पर आयोजित एक विशेष वार्षिक आम सभा की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

कार्यकारी परिषद का गठन उक्त संविधान के खंड (9) के संदर्भ में किया गया है। खंड (11) परिषद की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रावधान करता है। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के संवैधानिक उप-कानूनों के नियम 17 (बी) और 31 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष ने टाइम स्केल प्रमोशन नियम, 1991

(नियम) के रूप में जाने जाने वाले नियम बनाए। उक्त नियमावली के नियम 3 (घ) में पंजीयक ग्रेड को परिभाषित किया गया है जिसकी परिधि मे चिकित्सा अधिकारी (शिक्षण और गैर-शिक्षण) को शामिल किया गया है। नियम 3 जी में शिक्षण पद को परिभाषित कर पंजीयक श्रेणी मे शामिल कया गया है:

नियम 4 निम्नलिखित शर्तों में समय पैमाने पर पदोन्नति का प्रावधान करता है।

> "यह योजना समायोज्य प्रकृति का है जहां यदि अतिरिक्त पद निर्मित नहीं हो, तो उपलब्ध व्यक्तिगण को आलोचनताम्क मूल्यांकन के आधार पर उच्च स्तर पर पदोन्नत किया जायेगा जिससे अधिकृत पद की संख्या में भी परिवर्तन ना हो।"

7. नियमों का उद्देश्य सामान्य पदोन्नति का अवसर के अभाव के कारण उत्पन्न निराशा को दूर करना था।

नियमावली का नियम 6 (एफ) इस प्रकार हैः

(I) रेजिडेंट पैथोलॉजिस्ट, रेजिडेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, सीनियर ट्यूटर, एम. ओ.

शिक्षण, पी. जी. डिग्री धारक सनिन्नयम रेसीडेंट (स्केल रुपये 3000100-3500-125-5000/-) के सहायक के पास आवश्यक और एमसीआइ की मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर होना चाहिए।

(ii) उन्हें उन्हीं विषयों में शिक्षण पद पर 10 साल की नियमित सेवा प्रदान की जानी चाहिए।

(iii) 10 वर्षों के नियमित शिक्षण सेवा के भीतर, उनके पास पी. जी. डिग्री प्राप्त करने के बाद शिक्षण का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष डॉ. भाग्यबती का प्रमुख तर्क था कि चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) का पद शिक्षण पद नहीं था। इसके विपरीत रिम्स के साथ-साथ डॉ. तरुनी का तर्क था कि उक्त पद एक शिक्षण पद है।

9. रिम्स ने हाल ही में एमसीआइ के सचिव को संबोधित करते हुए एक पत्र द्वारा इस मामले में स्पष्टीकरण चाहते हुए लिखा कि

> "मैं यह पत्र चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक चिकित्सा) के पद के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए आपसे अनुरोध करते हुए लिख रहा हूं कि चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक चिकित्सा) पद को देश के मेडिकल कॉलेजों में

एक शिक्षण पद के रूप में माना जावें। चिकित्सा अधिकारी इस संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा विभाग शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों और शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षु के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का प्रत्यक्ष वितरण का कार्य भी इसमें शामिल है। इस प्रकार चिकित्सा शिक्षा के पुनर्गठन के कार्यान्वयन योजना की अनुपालना भी सुनिश्चित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्नातक चिकित्सा शिक्षा के नियम के प्रवतर्न पालना पश्चात एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या वी 11917/4/77 एमइ (पी) दिनांकित 13-11-77 से इस संस्थान द्वारा चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक चिकित्सा) के पद को सेवा नियम में शिक्षण पद के रूप में माना जा रहा है। यह विवाद एमसीआई विनियमों के अनुसार हल किया जाना आवश्यक बना हुआ है।"

इस विषय पर एक सकारात्मक स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी की अत्यधिक सराहना की जाएगी।

एमसीआई के द्वारा रिम्स निर्देशक को संबोधित पत्र दिनांक 15.4.2005 का भी अवलोकन किया गया की हर मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर/प्रदर्शनकारियों के चार पद और सामुदायिक चिकित्सा विभाग में प्रत्येक एक स्वास्थ्य अधिकारी सह-व्याख्याता और एक महिला चिकित्सा अधिकारी होनी चाहिए।

10. इस संबंध में एमसीआइ के विनियम 1979 तक संशोधित निम्नानुसार हैः

भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा अधिनियम, 1956 कल्याण, पत्र संख्या वी-11917/4/77-एमई (पी) दिनांक 30 नवंबर, 1977 के द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 33 के तहत स्नातक चिकित्सा शिक्षा का विनयम किया गया। जिसमें भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या V.11017/ 4/77 - एम. पी. टी./एम. ई. (नीति) दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 से अनुमोदित संशोधनों को शामिल किया गया है।

जहाँ तक सामुदायिक चिकित्सा के शिक्षण का संबंध है, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी जिनके पास पर्याप्त क्षेत्र का अनुभव हो उन्हें यदि आवश्यक हो तो, उचित पद देकर, सामुदायिक चिकित्सा के शिक्षण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज के शिक्षक को

बारी-बारी से क्षेत्र अभ्यास क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामुदायिक अभिविन्यास से परिचय हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि रिम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों को व्यावहारिक महामारी विज्ञान प्रशिक्षण का सौंपा गया कि डॉ. तरुनी दोपहर 2 से 4 बजे तक कक्षाएं लेकर दो अन्य लोगों के साथ 31.1.1992 पर प्रशिक्षण दे।

हमारा ध्यान आगे वर्ष 2003-2004 की वार्षिक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि सामुदायिक चिकित्सा में दो महिला चिकित्सा अधिकारी शामिल थीं।

16. हमारा ध्यान आगे एक ज्ञापन दिनांक 9.7.1987 की ओर आकर्षित किया गया है

जिसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता हैः

> "ज्ञापन एस. पी. एम., विभाग में तैनात छठे सेमेस्टर के छात्रों की ड्यूटी रोस्टर निम्न प्रकार रहें। इस सूची/कार्यक्रम का अगले आदेश तक प्रत्येक महीने पालन किया जाएगा।"

सप्ताह के दिन	अनुभाग	कर्मचारीगण

1. सोमवार, मंगलवार और बुधवार	परिवार मेडिको जाएँ सामाजिक काम करें।	1. एक प्रदर्शक क्रमावर्तन 2. सभी चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता
2. गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम & शहरी चिकित्सालय	1. यू. आई. पी. प्रदर्शक और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, क्रमावर्तन पर। 2. शहरी चिकित्सालय शहरी चिकित्सक के लिए जिम्मेदारी ले

टिप्पणियाँः - राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम अर्थात्ः - एन. एम. ई. पी., एन. आई. सी. पी. एम. एन. टी.बी.सी.पी.,एफ.पी.एन.सी.पी. नेत्रहीन और दृश्य के लिए दौरा केवल एक दिन होगा।

प्रदर्शक क्रमावर्तन सेवा पर:

(क) डॉ. तरुनी एनजी।

(ख) डॉ. बिजॉय

(ग)डॉ.इंडिबोर

(घ) डॉ. रूस

(ई) डॉ. श्यामकन्हाई

कोई भी चिकित्सक परिवार दौरा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ होगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। डॉ. इंडिबोर पारिवारिक दौरा अनुभाग में और डॉ. तरुनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में जुलाई, 1987 के महीने के लिए होंगे।

11. न्यायालय द्वारा इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि चिकित्सा अधिकारियों (गैर-शिक्षण) को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों वेतनमान 10,325-325-15,200/- रुपये) में शामिल करने के लिए टाइम स्केल प्रमोशन रूल्स संशोधन किया गया था।

12. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ विद्वान खंड पीठ ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि डॉ. तरुनी द्वारा धारण किया गया पद शिक्षण पद नहीं था। इस प्रकार, सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं थी।

13. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष आर. रिम्स और डॉ. तरुनी की ओर से यह भी निवेदन किया गया था कि सभी पंजीयक में निर्दिष्ट किए गए पद समकक्ष पद हैं।

उक्त तर्क को विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और खंड पीठ ने इस आधार पर पुष्टि की कि इसके लिए घोषणा आवश्यक थी, और चूंकि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं थे जिससे यह जाहिर हो कि उक्त मुद्दे पर निर्णय लिया गया था, इसलिए उस ओर से कोई राहत नहीं दी जा सकी।

14. हमारे समक्ष रिम्स की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता और डॉ. तरुनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एस. के. भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि यद्यपि सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बनने के लिए 10 साल शिक्षण में सेवा प्रदान करने की शर्त है। डॉ. तरुनी को उक्त मानदंडों को पूरा करने के लिए माना जाना चाहिए क्योंकि सामुदायिक विज्ञान विभाग में उनकी पदस्थापन को नियमित शिक्षण सेवा के रूप में माना जाता था। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि 2005 में किए गए नियमों का संशोधन स्पष्ट प्रकृति का है।

15. नियम में शिक्षण पदों के साथ-साथ गैर-शिक्षण पदों के सृजन के लिए भी प्रावधान हैं। नियम 2 (डी) में परिभाषित पंजीयक श्रेणी में

शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों प्रकार के चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष भी, रिम्स ने चिकित्सा अधिकारियों (एस. पी. एम.) के लिए कोई सेवा सारणी प्रस्तुत नहीं की है। जिन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, उनसे केवल यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा अधिकारियों (एस. पी. एम.) को कभी-कभी कक्षाएं लेने की आवश्यकता थी। इसलिए डॉ. तरुनी को भी नियमित रूप से कक्षाएं लेने की आवश्यकता नहीं थी। पदधारी द्वारा धारण किए गए पद की प्रकृति क्या होगी, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पद से जुड़े कर्तव्यों का मौलिक महत्व होगा। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज भी अभिलेख पर नहीं लाये गए है। यह तथ्य भी जाहिर नहीं है कि निवारक चिकित्सा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है या नहीं। एक बार में एक शिक्षक का काम करना या एक बार में एक प्रदर्शक के रूप में काम करना, गैर-शिक्षण पद को एक शिक्षक पद में परिवर्तित नहीं कर सकता था। रिम्स द्वारा यह धारणा की गयी होगी कि चिकित्सा अधिकारी (एस. पी. एम.) एक शिक्षण पद है, लेकिन जब डॉ. भाग्यबती द्वारा धारणाा को चुनौती दी गई थी, तो उच्च न्यायालय के समक्ष साक्ष्य रखकर अपनी दलीलों को स्थापित करना अनिवार्य था। जिसे करने में पूरी तरह विफल रहा है। रिम्स एम सी आइ द्वारा पत्राचार से भी कोई सहायता नहीं मिलती है। इस संबंध में स्पष्टीकरण केवल वर्ष 2004 में मांगा गया था। एम सी आई ने उक्त पत्र के जवाब में भी यह नहीं कहा गया कि चिकित्सा अधिकारी (एस. पी.

एम.) एक शिक्षण पद होगा, उसने केवल संवर्ग की संख्या के संबंध में मानदंड निर्धारित किए। कैडर की संख्या भी 2005 में ही निर्धारित की गई थी।

16. कौन सा पद शिक्षण पद होगा, यह तथ्य का प्रश्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम कैला कुमार पालीवाल और अन्य [2007] 6 स्केल 531, में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

> "हम इस बात से अनजान नहीं हैं कि यह नियमों पर निर्भर करेगा कि कोई व्यक्ति शिक्षण अनुभव का मानदंड पूरा करता है या नहीं। जब नियम स्पष्ट होते हैं, वहा उन्हे प्रभावी माना जावेगा। केवल ऐसे मामले में जहां नियम स्पष्ट नहीं हैं, संबंधित उम्मीदवार को साक्ष्य प्रस्तुत करना है कि वह अपेक्षित योग्यता को पूरा करता है। [देखें- बिहार राज्य व अन्य बनाम आशीष कुमार मुखर्जी और अन्य, ए. आई. आर. (1975) एससी 192]"

17. रिम्स की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सीय अधिकारी, एस. पी. एम. का पद एक शिक्षण पद के बराबर है, को अस्वीकार करने का उच्च न्यायालय का आदेश सही है।

18. निदेशक, एम्स और अन्य बनाम डॉ. निखिल टंडन और अन्य, [1996] 7 एससीसी 741, यह अभिनिर्धारित किया थाः

> "12. हमारी राय है कि टंडन द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी करते हुए किए गए दो साल के प्रशिक्षण को डी. एम. के समान नहीं माना जा सकता। एम्स भर्ती नियमों अनुसूची 1 में डीएम योग्यता और उसके समकक्ष योग्यता का प्रावधान है। मात्र समानता पर्याप्त नहीं है समकक्षता भी आवश्यक है। मान्यता संस्थान या एम सी आई द्वारा होनी चाहिए। दोनों में से किसी के द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मं दो साल के प्रशिक्षण को डी. एम. के समान नहीं माना गया है। हमारे सामने यह स्वीकृत तथ्य है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियाँ को 1978 से भारत में मान्यता नहीं मिली है।"

19. भारतीय चिकित्सा परिषद् चिकित्सा अधिकारी (एसपीएम) के पद को शिक्षण पद के रूप में मान्यता नहीं दी। अन्यथा दिखाने के लिए कोई अन्य सामग्री भी अभिलेख पर नहीं लाई गई।

20. वर्ष 2005 में संशोधित नियमों को स्पष्ट नहीं माना जा सकता है। यह एक मौलिक संशोधन है। इस प्रकार जो गैर-शिक्षण पक्ष में हैं, उन्हें

पहली बार नियमों के दायरे में लाया गया है। पात्रता की योग्यता में बदलाव किया गया है।

21. इसलिए, हमारी राय में प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत को अपील को अस्वीकार कर लागत पर खारिज किया जाता है। वकील का शुल्क 10,000 / -रूपये निर्धारित है जो रिम्स द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को देय होगा।

याचिका खारिज की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी सलोनी सक्सैना (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।